

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राज0 जयपुर

क्रमांक एफ 4(ई)निप/(पी-8/89-R)/अलेसे-III / 8827-8837 दिनांक- 11.11.2011

कार्यालय आदेश

यत् श्री प्रहलाद बैरवा, कनिष्ठ लेखाकार कार्यालय मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, (ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ) झालावाड़ को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 7 तथा 13 (1) (डी) सहपठित धारा 13 (2) के अधीन माननीय विशिष्ट न्यायाधीश, सेशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, कोटा (राज0) के निर्णय दिनांक 05.09.2011 के द्वारा 2 वर्ष का कठोर कारावास एवं 5000/-रुपये से अर्धदण्ड से दण्डित करते हुए आपराधिक आरोप पर सिद्धदोष ठहराया गया है और यत् यह माना गया है कि उक्त श्री प्रहलाद बैरवा, कनिष्ठ लेखाकार का वह आचरण, जिसके कारण सिद्धदोष ठहराया गया है, ऐसा है कि उसे लोक सेवा में और आगे रखना अवांछनीय होगा।

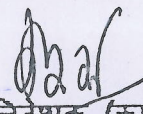
अतः अब अद्योहस्ताक्षरकर्ता उक्त श्री प्रहलाद बैरवा, कनिष्ठ लेखाकार को इसके द्वारा तुरन्त प्रभाव से पदच्युत करते/सेवा से हटाते हैं।

निदेशक

क्रमांक एफ 4(ई)निप/(पी-8/89-R)/अलेसे-III / 8827-8837 दिनांक- 11.11.2011

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है:-

- 1- उप महानिरीक्षक पुलिस-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर को इनके पत्र क्रमांक 2076-77 दिनांक 11-10-2011 के क्रम में।
- 2- मुख्य कार्यकारी अधिकारी, (ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ) झालावाड़।
- 3- सहायक निदेशक, अभियोजन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, कोटा।
- 4- संयुक्त निदेशक (विधि एवं जांच), कोष एवं लेखा।
- 5- संयुक्त निदेशक, कार्मिक-1 (डीपीसी शाखा हेतु)।
- 6- श्री प्रहलाद बैरवा, कनिष्ठ लेखाकार कार्यालय मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, (ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ) झालावाड़।
- 7- निजी सहायक, निदेशक महोदय, कोष एवं लेखा।
- 8- पदस्थापन सीट/गोपनीय शाखा/वरिष्ठता सीट/श्री महेन्द्र कुमार गोयल, कनिष्ठ लेखाकार।
- 9- निजी पत्रावली/रक्षित पत्रावली।


संयुक्त निदेशक (कार्मिक-1)